(म0प्र0)

न्यायालय:—श्रीमान् ... 

R 1421-I/12 नवीन प्रकरण - 1421/2012

प्र0क्र0 /2011—12 निगरानी

274
क्रो 05/12

1- भारत सिंह श्री रघुवर सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी
ग्राम करिगंवा तह0 व जिला मुरैना.
................आवेदकगण

बनाम

8/5/2012

1—म0प्र0शासन ........मूल आवेदक / अनावेदक
2—राघवेन्द्र सिंह पुत्र सिंह सरनाम सिंह घुरैया जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम करिगंवा हाल निवासी ग्वालियर.
3—वकील सिंह आयु 40 वर्ष ।
4—निरोत्तम सिंह आयु 38 वर्ष।
5—पुलन्दर सिंह आयु 36 वर्ष।
6—बनवारी सिंह आयु 24 वर्ष।
सभी पुत्रगण श्री दीवान सिंह सभी जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम खरिका पर. व जिला मुरैनाण
7—चेतराम पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाटव निवासी ग्राम सराय का पुरा तहसील व जिला मुरैना.
8—रामस्वरूप पुत्र केसरीलाल जाति जाटव निवासी सराय का पुरा तहसील व जिला मुरैना ........................पूरक अनावेदक

श्री कृष्ण शर्मा अभि0
18-5-12

पुनरीक्षण आवेदन विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर मुरैना प्र.क्र. 02/2010—2011 स्वमेव निगरानी दिनांक 21.11.2011 धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता के अंतर्गत।

श्रीमान जी,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण जिस पर से उपरोक्त आदेश प्रदान किया गया है, निम्नानुसार प्रस्तुत है:—

1— यह कि,राघवेन्द्र सिंह निवासी करिगंवा हाल निवासी ग्वालियर द्वारा इस आशय की शिकायत की कि, मौजा करिगंवा के भूमि सर्वे क्रमांक 141 नवीन सर्वे क्र.220 रकवा 21 बीघा 09 विश्वा के भूमिस्वामी अनावेदक क्र.07 चेतराम पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाटव निवासी ग्राम सराय का पुरा तहसील व जिला मुरैना है, इनके द्वारा अपने पिता अनावेदक क्रमांक 08 रामस्वरूप पुत्र श्री केसरीलाल जाति जाटव निवासी सराय का पुरा को मुख्त्यारआम देकर अनावेदक क्रमांक 03 लगायत 06 वकील सिंह,निरोत्तम सिंह ,पुलन्दर सिंह,बनवारी सिंह को शासकीय पट्टे की भूमि को बिना अनुमति प्राप्त किये गलत सर्वे क्रमांक क्रमशः 218 एवं 225 अंकित कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दिया गया और अनावेदकगण (क्रेताओं) का नाम भूमि स्वामी के रूप में नामांतरण कर दिया गया। अतः विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने व वादग्रस्त भूमि शासकीय पट्टे की होने से बिना अनुमति के विक्रीत करने के फलस्वरूप विक्रय पत्र शून्य घोषित कर पट्टा निरस्त किया जाकर अभियोजन की कार्यवाही की मांग की गई।

2— यह कि , अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण शिकायतकर्ता राघवेन्द्र सिंह की शिकायत पर से प्रकरण स्व.निगरानी में लेकर अनावेदकगण के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया। ... के उपरांत आवेदकगण को बिना कोई

(258)

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1421-एक/12 **जिला**- मुरैना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |